मुख्यमंत्री ने दी सिपाही भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी

6 फुट ऊंचे व तेज धावकों को मिलेंगे 2-2 अतिरिक्त अंक

- **अंतिम मुहर के लिए वित्त विभाग के पास पहुंची फाइल, इसी माह विज्ञापित होंगे 6 हजार सिपाही के पद**
- **अमर उजाला ने अप्रैल माह में दी नियमों में बदलाव के ड्राफ्ट की जानकारी**

चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस में 6 हजार सिपाही भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन पर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत भर्ती में उच्च शिक्षा के मिलने वाले अतिरिक्त अंकों को हटा दिया है और शारीरिक क्षमता के अंक जोड़े गए हैं। अभ्यर्थी को 6 फुट से लंबा होने और निर्धारित समय से पहले दौड़ करने पर अतिरिक्त 2-2 अंक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद फाइल वित्त विभाग के पास अंतिम मुहर लगने के लिए भेज दी है। संभावना है कि इसी माह भर्ती विज्ञापित की जाएगी।

गौर हो कि डीजीपी की ओर से आयोग को 5 हजार पुरुष सिपाही और 1 हजार महिला सिपाही की भर्ती के लिए पत्र लिखा गया था। बाद में नियमों का हवाला देकर इस मांग पत्र को रुकवा दिया था। नए ड्राफ्ट को मुख्य सचिव की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। फाइल अब वित्त विभाग के पास है, यहां से मंजूरी मिलते ही नए नियमों के तहत सिपाही भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। सीईटी पास अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। ब्यूरो

अब ये होगा

- सबसे पहले पदों के मुकाबले 7 गुना का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा।
- फिर चार गुणा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी, सबसे बाद में फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में दौड़ कराई जाएगी।
- आर्थिक-सामाजिक आधार के ढाई और एनसीसी सर्टिफिकेट के ढाई अंक मिलेंगे।
- बीए और एमए पास के लिए अंक नहीं, 6 फुट हाइट और समय से पहले दौड़ पर 2-2 अंक मिलेंगे।

पहले ये होता था

- लिखित परीक्षा शुरू मे होती थी और बाद में पीएमटी और पीएसटी।
- कद और छाती पूरी होने वाली अभ्यर्थी भी परीक्षा पास कर लेते थे।
- बीए पास को 4 और एमए पास को 7 अतिरिक्त अंक मिलते थे।
- आर्थिक सामाजिक के आधार पर 10 अंक मिलते थे।